13/10/25 आज यह पत्रावली पेश हुयी।
हमने पत्रावली का अध्ययन किया वाद
प्रार्थी पर मनन किया गया। अतः
प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से
लिख आदेश शा० नि० किए गए। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।
बाद प्राप्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :- श्री रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस.)
परिवाद संख्या :- 02 / 24
दायर दिनांक :- 12.01.2024
निर्णय दिनांक :- 13/10/25

उनवान

1. महेश चन्द यादव पुत्र मंगलूराम यादव जाति अहीर निवासी गादोज तहसील बहरोड़ जिला–कोटपूतली–बहरोड़। –प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड़। ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 रा.भू.रा. अधि. राज. लैण्ड रैवून्यू एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र यादव अधिवक्ता प्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेश कि गई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह है कि मन प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 870, 871, 1394, 1395, 1396, 1751, 1752, 2114, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1225, 1034, 1295, 1296, 1297, 1299, 2551, 2554, 759, 760, 1138, 2119, 2118, 2120, 2121, 2122, 24 60, 1001, 1135, 1137, 2116, 2224, 856 वाके ग्राम गादोज में स्थित है। जिसका मन प्रार्थी अपने हिस्से तक काबिज काश्तकार है। जो मन प्रार्थी को उक्त भूमि अपने पिता श्री मंगतूराम पुत्र रामनारायण के स्वर्गवास होने के पश्चात विरासत से प्राप्त हुई है। विरासत इंतकाल संख्या 135 प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्ल है। पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त आराजी बाबत विरासत का इंतकाल बिना जांच किये एवं मन प्रार्थी को सुने बिना तथा मन प्रार्थी से कोई दस्तावेज लिए बिना इंतकाल संख्या 135 खोलेजाने के दौरान मन प्रार्थी का नाम महेश अंकित कर दिया गया था। लेकिन जमाबंदी मे अमल दरामद करते समय पटवारी हल्का द्वारा मन प्रार्थी का नाम आराजी खसरा नम्बर 870,871, में महेश कुमार पुत्र मंगतू, आराजी खसरा नम्बर 1395, 1396, 1751, 1752, 2114, 2118, 2120, 2121, 2122, 2460, 1001, 1135, 1137, 2116, 2224, 856 में मुकेश पुत्र मंगलूराम तथा आराजी खसरा नम्बर 1217 1218.1219,1220, 1221,1224, 1225, मुकेश पुत्र मंगलू 1034, 1295, 1296, 1297, 1299, 2551, 2554, 759, 760, 1138, 2119 में महेश पुत्र मंगतू अशुद्ध नाम दर्ज कर दिया गया। जो इसी प्रकार अशुद्ध नाम हाल जमाबंदी में रिपिट होता चला आ रहा है। जबकि मन प्रार्थी का शुद्ध नाम महेश चन्द यादव पुत्र मंगतूराम यादव है। तथा मन प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजो में भी प्रार्थी को शुद्ध नाम महेश चन्द यादव पुत्र मंगलूराम यादव दर्ज है। समस्त दस्तावेजो की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह नम्बर खसरा है कि आराजी 870, 871, 1394, 1395, 1396, 1751, 1752, 2114, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1225, 1034, 1295, 1296, 1297, 1299, 2551, 2554, 759, 760, 1138, 2119, 2118, 2120, 2121, 2122, 2460, 1001, 1135, 1137, 2116, 2224, 856 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी

गादोज के राजस्व रिकार्ड में मन प्रार्थी के अशुद्ध नाम की जानकारी कृषि लोन लेने के लिए के हाल जमाबंदी निकलवाई तथा राजस्व रिकार्ड को देखा तो मन प्रार्थी को पता चला कि मन प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध दर्ज कर दिया गया। जिससे मन प्रार्थी को कृषि लोन लेने में परेशानी हो रही है। जिस अशुद्धि को शुद्ध करवाया जाना न्याय संगत एवं उचित है। हाल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। मन प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात पटवारी हल्का गादोज को दिखाये एवं जिम्मन नम्बर 1 में दर्ज मन प्रार्थी की आराजी के राजस्व रिकार्ड में मन प्रार्थी के अशुद्ध नाम कमशः महेश कुमार पुत्र मंगतू मुकेश पुत्र मंगतूराम एवं मुकेश पुत्र मंगतू एवं महेश पुत्र मंगतू को शुद्ध कर मन प्रार्थी का शुद्ध नाम महेश चन्द यादव पुत्र मंगतूराम यादव अंकित करने हेतु कहा तो पटवारी हल्का ने कहा की मन प्रार्थी शुद्धिकरण हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करे. आदेश होने पर राजस्व रिकार्ड में शुद्धि हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र बिना देरी के न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 870, 871, 1394, 1395, 1396, 1751, 752, 2114, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1225, 1034, 1295, 1296, 1297, 1299, 2551, 2554, 759, 760, 1138, 2119, 2118, 2120, 2121, 2122, 2460, 1001, 1135, 1137, 2116, 2224, 856 वाके ग्राम गादोज के राजस्व रिकार्ड में मन प्रार्थी के अशुद्ध नाम कमशः महेश कुमार पुत्र मंगतू, मुकेश पुत्र मंगतूराम एवं मुकेश पुत्र मंगतू एवं महेश पुत्र मंगतू अंकित है। आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा कक्षा 10 प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसमे मन प्रार्थी का शुद्ध नाम अंकित है। ऐसी स्थिती में उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान वाके ग्राम गादोज में मन प्रार्थी का शुद्ध नाम दर्ज करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित है। श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर पटवारी हल्का गादोज तह० बहरोड़ को आराजी हाल जमाबंदी खसरा नम्बर 870, 871, 1394, 1395, 1396, 1751, 1752, 2114, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1225, 1034, 1295, 1296, 1297, 1299, 2551, 2554, 759, 760, 1138, 2119, 2121, 2122, 2460, 1001, 1135, 1137, 2116, 2224, 856 वाके ग्राम गादोज पटवार हल्का वाके ग्राम गादोज तहसील बहरोड़ पर अंकित मन प्रार्थी के अशुद्ध नाम कमशः महेश कुमार पुत्र मंगतू, मुकेश पुत्र मंगतूराम एवं मुकेश पुत्र मंगतू एवं महेश पुत्र मंगतू के स्थान पर महेश चन्द यादव पुत्र मंगतूराम यादव किये जाने के आदेश प्रदान करने कि कृपया करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बहरोड ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादी स्वयं सिद्व करे।

हमने प्रत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी के वकील प्रार्थी की बहस सुनी वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। आराजी हाल जमाबंदी खसरा नम्बर 870, 871, 1394, 1395, 1396, 1751, 1752, 2114, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1225, 1034, 1295, 1296, 1297, 1299, 2551, 2554, 759, 760, 1138, 2119, 2121, 2122, 2460, 1001, 1135, 1137, 2116, 2224, 856 वाके ग्राम गादोज पटवार हल्का वाके ग्राम गादोज तहसील बहरोड़ में प्रार्थी का नाम महेश कुमार पुत्र मंगतू, मुकेश पुत्र मंगतूराम एवं मुकेश पुत्र मंगतू एवं महेश पुत्र मंगतू दर्ज है। प्रार्थी के विरासत इंतकाल संख्या 135 में श्री चन्द, महेश, बस्तीराम,मुख्यतयार पि0 मंगतू अहीर साह0 देह खातेदार हिस्सा 1/3 बाकी बदस्तूर 2/3 दर्ज है। के स्थान पर महेश चन्द यादव पुत्र मंगतूराम यादव किये

उपखण्ड अधिकारी

जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त खाता में दर्ज अन्य सहखातेदार बस्तीराम यादव पुत्र मंगतूराम यादव जाति अहीर ,मुख्त्यारसिंह पुत्र मंगतूराम यादव तहसील बहरोड़ ने शपथ पत्र पेश किया है कि हमारे भाई का सही नाम दस्तावेजो के हिस्सा से महेश चन्द यादव पुत्र मंगतूराम यादव है जो सही है। सत्य है तथा गाँव में भी महेश चन्द यादव पुत्र मंगतूराम यादव के नाम से जाना जाता है। महेश चन्द यादव पुत्र मंगतूराम याद का नाम हाल जमाबन्दीयो में सही होने पर किसी भी काश्तकार को कोई किसी प्रकार की आपत्ती नही होगी ना ही भविष्य में करेगे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी एवं विरासत के इन्तकाल व इन्तकाल की नक्ले पेश की गई है उनमें महेश पुत्र मंगतूराम दर्ज है। जिस सूरत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मुताबिक शपथ पत्र के स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी हाल जमाबंदी खसरा नम्बर 870, 871, 1394, 1395, 1396, 1751, 1752, 2114, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1225, 1034, 1295, 1296, 1297, 1299, 2551, 2554, 759, 760, 1138, 2119, 2121, 2122, 2460, 1001, 1135, 1137, 2116, 2224, 856 वाके ग्राम गादोज तहसील बहरोड़ पर अंकित प्रार्थी का नाम महेश कुमार पुत्र मंगतू, मुकेश पुत्र मंगतूराम एवं मुकेश पुत्र मंगतू एवं महेश पुत्र मंगतू के स्थान पर महेश चन्द यादव पुत्र मंगतूराम यादव किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार से हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम बनाम तहसीलदार जारी किया जावे।

आज दिनांक 13/10/25 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

नोट !– उक्त निर्णय में खसरा नम्बर 856 के आगे ख॰न॰ 2118 व 2120 को शामिल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)